

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी :- प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :- 06/19

1. सुमन उर्फ प्रमीला पुत्री ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी 12 के.वाई.डी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....वादीगण

**बनाम**

1. लेखराम पुत्र भादरराम कुम्हार निवासी 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. गिरधारीलाल पुत्र लेखराम कुम्हार चक 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उप-पंजीयक खाजूवाला।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), खाजूवाला।

.....प्रतिवादीगण

**वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट**

-: निर्णय :-

दिनांक :-

वाद का ब्योरा इस प्रकार है, वादिया का कथन है कि विवादित जमीन चक 11 केवाईडी के मुर्ब्बा नंबर 135/61 की 24.10 बीघा और चक 11 kyd B के मुर्ब्बा नंबर 136/52 की 3 बीघा वादिया के दादा प्रतिवादी संख्या 1 लेख राम की पुश्तैनी जमीन है -5/6 साल पहले लेख राम द्वारा मुर्ब्बा नंबर 135/61 का आधा हिस्सा पारिवारिक बंटवारे के जरिए वादियां के पिता को सुपुर्द कर दिया गया था. वादिया के पिता की मृत्यु हो चुकी है . पिता की मृत्यु के बद् वादिया की माता ने पुनर्विवाह कर लिया. प्रतिवादी संख्या दो इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर विवादित जमीन अपने नाम करवाना चाहता है और वादिया को उसके हक से महरूम करना चाहते हैं. इसलिए वादिया अपने पिता की एकमात्र वारिस के तौर पर विवादित जमीन में अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा करवाना चाहती है

प्रतिवादी द्वारा इस वाद के खिलाफ ऑर्डर 7 रूल 11cpc के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया था कि यह जमीन लेख राम को जरिए आवंटन हासिल हुई है इसलिए यह जमीन लेख राम की स्वअर्जित संपत्ति है इसलिए वादिया का इस जमीन में कोई हक नहीं है. अदालत द्वारा इस प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया था कि यह जमीन स्व अर्जित है या पैतृक यह मेरिट का विषय है.

इस मुद्दे पर वादिया द्वारा जवाब दिया गया है लेख राम के पिता बहादर राम द्वारा 22.5.71 को 30 पीटीपी सादुल शहर की 19 बीघा जमीन और 11.9.79 को 24 पीटीपी सादुलशहर की 7 बीघा जमीन

का बेचान किया गया था . प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पारिवारिक संपत्ति का विक्रय करके ही विवादित भूमि आवंटन करवाई .लेख राम द्वारा 14.6.89 को 24 पीटीपी की 8 बीघा जमीन का विक्रय किया गया था . उस विक्रय से प्राप्त रकम से ही विवादित जमीन को अर्जित किया गया है.

प्रतिवादी गण द्वारा इसका विरोध करते हुए कथन किया गया है कि विवादित जमीन लेख राम को 1970 में आवंटित हुई थी और 1984 में समस्त किस्तें जमा करवा कर इसकी खातेदारी प्राप्त कर ली गई थी. इस जमीन को अर्जित करने में सादुलशहर

की संपत्ति के विक्रय से प्राप्त रकम का इस्तेमाल नहीं किया गया है इसलिए यह जमीन लेख राम की स अर्जित संपत्ति है .

अदालत द्वारा दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया गया. दस्तावेजों से यह जाहिर होता है कि मुरब्बा नंबर 135 /61 लेख राम को 1974 में आवंटित हुई थी ना कि 1970 में जैसा कि प्रतिवादी गण ने अपने जवाब में कहा है . इस तथ्य के मद्देनजर लेख राम के पिता द्वारा 1971 में किया गया विक्रय रेलीवेंट हो जाता है.. प्रतिवादी गण का कहना है कि 1984 तक विवादित जमीन के सिलसिले में समस्त किस्त जमा करवा दी गई थी .अदालत का मानना है कि इस संबंध में लेख राम के पिता द्वारा 1979 में सादुल शहर में स्थित जमीन का बेचान भी रेलीवेंट हो जाता है. इसके अलावा इन विक्रय पत्रों में लेख राम के पिता द्वारा यह कथन किया गया है क जमीन का विक्रय दूसरी जगह जमीन खरीदने के लिए और कर्ज अदायगी के लिए किया जा रहा है . इसके अलावा दस्तावेजों से यह भी जाहिर होता है कि लेख राम को 1990 में चक 1 पीएचएम खाजूवाला में जमीन अलॉट हुई थी और उसके द्वारा 1989 में सादुलशहर की जमीन का विक्रय किया गया था.

इन सब तथ्यों के मद्देनजर अदालत का मानना है यह निष्कर्ष निकालना उचित ही होगा कि विवादित जमीन मुरब्बा नंबर 135/61 को अर्जित करने में सादुल शहर स्थित जमीन का विक्रय करने से प्राप्त रकम का इस्तेमाल किया गया होगा . क्योंकि सामान्य तौर पर कृषक समाज में जमीन का बेचान तभी किया जाता है जब उसके बदले में और जमीन अर्जित करने की गुंजाइश हो. इसके अलावा इन विक्रय पत्रों में लेख राम के पिता द्वारा भी इस आशय धमंशा का कथन किया गया है. इसलिए अदालत का मानना है कि विवादित जमीन मुरब्बा नंबर 135/ 61 लेख राम की पुश्तैनी संपत्ति है और इस बुनियाद पर लेख राम की पुत्री वादी सुमन का भी उस जमीन में हक निहित है.

बहस के दौरान यह सामने आया है कि लेख राम की कुल 4 संताने हैं, जिनमें से एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है . वादियां उस मृत पुत्र की पुत्री है. इसलिए अदालत का मानना है की वादियां का विवादित जमीन के 1 / 5 हिस्से पर अधिकार बनता है.

यहां यह भी गौरतलब है कि लेख राम द्वारा विवादित जमीन में से किला नंबर 6 से 9, 10 (18 बिस्वा) , 11 में 18 बिस्वा ,12 से 19, 20 में 18 बिस्वा ,21 में 18 बिस्वा, 22 से 25 सालम कुल 19 बीघा 12 बिस्वा

का दान पत्र अपने पुत्रों के पक्ष में तस्दीक किया हुआ है. हालांकि इस बाद में स्थगन आदेश जारी किए जाने की वजह से उस दान पत्र का इंतकाल दर्ज नहीं हो पाया है .वादिया द्वारा जिस जमीन पर हक जताया गया है उसे दान पत्र दान के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया है अदालत का मानना है कि दान पत्र में लिखी गई जमीन में हस्तक्षेप ना करते हुए भी वादिया को उसका हक दिलाया जा सकता है क्योंकि उस दान पत्र में वर्णित जमीन के अलावा मुरब्बा नंबर 135/ 61 में 4.18बीघा जमीन लेख राम के नाम दर्ज है .इसलिए उस जमीन में से 4 बीघा 10 बिस्वा जमीन( विवादित जमीन 24 बीघा 10 बिस्वा है, वादिया का हक 1/ 5 हिस्सा) वादिया के नाम दर्ज की जा सकती है. इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तहसीलदार खाजूवाला को निर्देशित किया जाता है कि वह चक 11kyd के मुरब्बा नंबर 135 /61 के किला नंबर 1 से 4 सालम और किला नंबर 5 में 10 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में वादियां सुमन उर्फ प्रमिला पुत्री मदनलाल पत्नी ताराचंद जाति कुम्हार के नाम दर्ज करें ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रभजोत सिंह गिल),

(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी,

(खाजूवाला)